# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## –: कार्यालय आदेश :–

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में दायर अपील संख्या 3085/2019 श्रीसुरेश चंद गुप्ता बनाम निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान व अन्य में जारी आदेश दिनांक 24.10.19 के द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 29.09.19 (राबाउमावि,गंगापोल, जयपुर से राउमावि,स्वामी का गांव जिला बाडमेर) के अन्तर्गत अपीलार्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण न किया हो तो अपील के अग्रिम आदेश तक उक्त आदेश के कियान्वयन को स्थगित किया गया था। फलस्वरूप माननीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांकः–17.12.2019 द्वारा अपील में दिए जाने वाले आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन श्री सुरेश चन्द गुप्ता प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य (उमावि–समकक्ष) राबाउमावि, गंगापोल, जयपुर के पद पर एवं श्रीमती फरजाना बेगम, प्रधानाचार्य को आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय कार्यालय संयुक्त निदेशक–स्कूल शिक्षा, जयपुर किया गया था।

विभाग द्वारा दिनांकः– 29.09.2019 तक विभिन्न संवर्गों के किये गये स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में परिवेदना प्रस्तुत करने हेतु आदेश कमांकः– शिविरा/माध्य/संस्था/निजी/संनि/निर्देश/ दिनांकः–01.10.2019 द्वारा निर्देश जारी किये गये। अपीलार्थी श्री सुरेश चन्द गुप्ता ने स्वयं के कैंसर रोग होने का उल्लेख करते हुए जरिये शाला दर्पण परिवेदना प्रस्तुत की गई। परिवेदना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एवं तत्समय उपलब्ध रिक्तियों को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यालय के आदेश कमांकः– शिविरा/मा/संस्था/बी–II/ 45002/ प्रधाना/स्था/2019 दिनांक 30.10.2019 द्वारा अपीलार्थी श्री सुरेशचंद गुप्ता प्रधानाचार्य, राबाउमावि, गंगापोल जयपुर से राउमावि, स्वामियों का गांव–बाडमेर के स्थानान्तरण में संशोधन करते हुए राउमावि, मेहन्दवास,टौंक में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर समायोजित किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त संशोधन आदेश की अनुपालना में दिनांकः– 05.11.2019 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

माननीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या 3085/2019 श्री सुरेश चंद गुप्ता बनाम निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान व अन्य में दिनांक 24.10.2019 द्वारा आदेश दिनांक 29.09.2019 की पालना में यदि अपीलार्थी ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया हो तो उक्त आदेश के कियान्वयन को अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया था। चूँकि विभाग द्वारा परिवेदना प्रकियान्तर्गत अपीलार्थी के स्थानान्तरण ( राबाउमावि, गंगापोल जयपुर से राउमावि, स्वामियों का गांव–बाडमेर ) पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपीलार्थी का समायोजन राउमावि मेहन्दवास टौंक किया जाकर अनुतोष प्रदान कर दिया गया। जिसे अपीलार्थी द्वारा स्वीकार करते हुए दिनांक 05.11.2019 को कार्यग्रहण कर लिया गया। चूंकि माननीय अधिकरण का आदेश दिनांक 29.09.2019 के आदेश पर प्रभावी था तथा 30.10.2019 पर नहीं इसलिए विभागीय आदेश दिनांक 30.10.2019 विवादित नहीं है तथा आज भी वैध है। इसके अतिरिक्त विभागीय आदेश दिनांक 30.10.2019 की पालना में श्री सुरेश चंद गुप्ता द्वारा कार्यग्रहण कर लिया गया है। अतः आदेश दिनांक 30.10.2019 की पालना में कार्यग्रहण कर लिये जाने के कारण विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांकः– 17.12.2019 तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर :– 0151–2522238
e-mail-dir.dse.@rajasthan.gov.in

उक्त प्रत्याहरण आदेश के फलस्वरूप श्री सुरेश चंद गुप्ता, प्रधानाचार्य, राउमावि मेहन्दवास टौंक में एवं श्रीमती फरजाना बेगम, राबाउमावि,गंगापोल, जयपुर में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में दायर अपील संख्या 3085/2019 (श्री सुरेश चंद गुप्ता बनाम निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर व अन्य) में जारी होने वाले आगामी/अन्तिम आदेश के निर्णयाधीन कार्यरत रहेंगें।

24/12

(हिमांशु गुप्ता)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कमांक–शिविरा/मा/संस्था/कोर्ट केस/बी–2/अपील/सुरेशचंद/3085/2019 दिनांक24.12.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत –

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर
2. सिस्टम एनालिस्ट कम संयुक्त निदेशक,कार्यालय हाजा को सम्बन्धित पृष्ठांकितों को ईमेल हेतु ।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक–स्कूल शिक्षा
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी,मुख्यालय माध्यमिक बीकानेर को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश के कियान्वयन की कार्यवाही करा अवगत करावें ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक विधि) जयपुर को पाबन्द किया जाता है कि वे तत्काल उक्त अपील में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए माननीय अपील अधिकरण को समस्त वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए अपील के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
6. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को पाबन्द किया जाता है कि अपील के प्रभारी अधिकारी को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील के शीघ्र निस्तारण बाबत आवश्यक निर्देश जारी करें।
7. श्री सुरेश चंद गुप्ता, प्रधानाचार्य, राबाउमावि,गंगापोल, जयपुर।
8. श्रीमती फरजाना बेगम, प्रधानाचार्य, एपीओ, संयुक्त निदेशक–स्कूल शिक्षा जयपुर द्वारा कार्यालय संयुक्त निदेशक–स्कूल शिक्षा, जयपुर
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर